संख्या- 149 /2021 / 1464 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2021

विषय:- भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के निर्माण हेतु प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 4532.43 लाख को व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 4368.77 लाख मूल्यांकित किया गया है।

2. व्यय वित्त समिति द्वारा प्रेषित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन की मूल्यांकन टिप्पणी की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 4368.77 लाख (रूपये तिरालिस करोड़ अड़सठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 1092.00 लाख (रू0 दस करोड़ बानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
2. प्रायोजना का भविष्य में इस लागत पर किसी प्रकार का पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
3. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रायोजना का गठन वर्ष 2020 के कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया गया है तथा स्थल विकास कार्यों की लागत विवरण चिन्हित भूमि के आधार पर तदर्थ रूप से प्रस्तावित किया गया है। कार्य की आवश्यकता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत प्रायोजना का आंकलन इसी स्थिति में किया गया है। सर्वप्रथम प्रायोजना का डी0पी0आर0 तैयार कर इसका क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजना के निर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयबद्धता को सुनिश्चित किये जाने हेतु किसी प्रतिष्ठित थर्ड पार्टी पैनल से Concurrent evaluation कराया जायेगा। इस पर आने वाले व्यय की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 50.00 लाख प्रस्तावित की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 50.00 लाख अनुमन्य करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन व अन्य शुल्क हेतु विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।
7. प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट व लिफ्ट की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त की जाय। निदेशक, संस्कृति द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई हेतु रू0 100.23 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न होने के कारण इस मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष फिलहाल एकमुश्त रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है ताकि निर्माण कार्य में कोई कठिनाई न हो।
9. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय का होगा।
10. प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
11. प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां प्रयोग करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न ही स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2021 में में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था वास्तविक भुगतान के अनुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
16. कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।
17. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
18. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-54-भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र -24- वृहद निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-742 /दस-2021, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या - 149 /2021 / 1464(1) /चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- महाप्रबंधक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एंड डी0एस0 (उ0 प्र0 जल निगम) लखनऊ।
5- निदेशक, सी0 एंड डी0 एस0 (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।